राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक : प.4(8)वित्त/राजस्व/05 पार्ट लूज   जयपुर, दिनांक : 13 DEC 2017

आदेश

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा **दिनांक 15.08.2016 से** राज्य कर्मचारियों के बीमा ऋण एवम् दावों का एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन निस्तारण किया जा रहा है, किन्तु अभी भी ऑफलाईन कार्य-प्रक्रिया की भाँति अधिकार-पत्र पूर्ववत् कर्मचारी के संबंधित आहरण एवम् वितरण अधिकारी के नाम जारी कर भिजवाये जा रहे हैं। उक्त प्रक्रिया में बीमा विभाग से अधिकार-पत्र डिस्पेच कर संबंधित आहरण एवम् वितरण अधिकारी के कार्यालय में पहुँचने तथा उनके स्तर से कोषागार में बिल प्रस्तुत करने के कारण कर्मचारियो/दावेदारों को भुगतान प्राप्त होने में औसतन दो-तीन माह का समय लग जाता है।

अतः भुगतान में होने वाले उक्त विलम्ब को कम करने हेतु आहरण एवम् वितरण अधिकारी को एकल अधिकार पत्र जारी करने के स्थान पर अब फ्लोट सिस्टम के अन्तर्गत बीमा विभाग के जिलाधिकारी के द्वारा एक से अधिक कर्मचारियों को एक साथ भुगतान किये जाने की प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु आहरण एवम् वितरण अधिकारियों को बीमा निधि से राशि आहरित करने हेतु अधिकार-पत्र या चैक जारी करने के स्थान पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिलाधिकारी के नाम **"भुगतान आदेश"** (फ्लोट) जारी कर पे-मैनेजर पोर्टल पर ऑनलाईन बिल सबमिट करते हुये सम्बन्धित कर्मचारी के बैंक खाते में राशि भुगतान की कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 3 (3) के तहत एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।

अब कर्मचारी द्वारा (मृत्यु दावों के प्रकरणों में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा) स्वयं के लोगिन आईडी से एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र सबमिट करने के पश्चाद् एवम् राज्य कर्मचारी के संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्रों का नियमानुसार परीक्षण के उपरान्त एसआईपीएफ विभाग को अग्रेषित करने पर विभाग के संबंधित जिला कार्यालय हार्डकॉपी के रूप में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में नियमसम्मत् निस्तारण की समुचित कार्यवाही करते हुये **'भुगतान आदेश'** (फ्लोट) जारी कर स्वयं के स्तर पर संबंधित कर्मचारियों/दावेदारों को उनके बैंक खाते में भुगतान की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

उक्त प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत निर्देश निदेशक, बीमा के द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

आरम्भ में, उक्त प्रक्रिया दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पायलेट बेसिस पर लागू की जा रही है।

उक्त नवीन व्यवस्था **दिनांक 01 जनवरी, 2018** से प्रभावी होगी।

(डी. बी. गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

क्रमांकः प.4(8)वित्त/राजस्व/05 पार्ट लूज जयपुर, दिनांक : 1[illegible] DEC 2017

<u>*प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–*</u>

1. सचिव, माननीय राज्यपाल राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
5. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त नवीन व्यवस्था के सुव्यस्थित क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हुए अपने स्तर से समुचित दिशा–निर्देश जारी करावें।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि सभी कोषाधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करावें।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली ।

13/12/17
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग,

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।

13/12/17
संयुक्त शासन सचिव,